न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-306RAAJodhpur2023-133RTA225 Khetaram ors Vs Jetharam etc

01. खेताराम पुत्र जगमालराम
02. खराजराम पुत्र जगमालराम
03. गोकलराम पुत्र जगमालराम
04. जेठाराम पुत्र जगमालराम
05. धापूदेवी पत्नी जगमालराम
06. पीराराम पुत्र गुमनाराम
07. बागाराम पुत्र गुमनाराम
08. भूराराम पुत्र रूपाराम
09. भंवराराम पुत्र जगमालराम
10. रेंवतराम पुत्र जगमालराम
11. हमीराराम पुत्र गुमनाराम
12. भंवराराम पुत्र गोरखाराम
13. कुम्भाराम पुत्र गोरखाराम
14. जेठाराम पुत्र गोरखाराम
15. अम्बाराम पुत्र गोरखाराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- भालू अनोपगढ, तहीसल सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. जेठाराम पुत्र लुम्बाराम
2. घेवरराम पुत्र लुम्बाराम
3. गणपतराम पुत्र लुम्बाराम
4. धाई पत्नी लुम्बाराम
5. प्रतापराम पुत्र लुम्बाराम
6. भगाराम पुत्र लुम्बाराम
7. उदाराम पुत्र दुर्गाराम
8. रामूराम पुत्र दुर्गाराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- रणकेश्वर नगर, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

9. ओमाराम पुत्र गोरखाराम
10. राजूराम पुत्र गोरखाराम,
11. ढलकी पत्नी गोरखाराम
12. राजुराम पुत्र गोरखाराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- भालू अनोपगढ, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. खमादेवी पुत्री जगमालराम पत्नी घेवरराम, जाति मेघवाल, निवासी- जेलू तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
14. समुदेवी पुत्री जममालराम पत्नी पपुराम, जाति मेघवाल, निवासी- जेलू तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
15. सुवादेवी पुत्री गोरखाराम पत्नी चन्द्राराम जाति मेघवाल, निवासी- डेरियां, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
16. जालाराम पुत्र दुर्गाराम
17. झुमरराम पुत्र लिखमाराम
18. धारूराम पुत्र लिखमाराम
19. भागीरथराम पुत्र लिखमाराम
20. अम्बाराम पुत्र लिखमाराम
21. गोरीशंकर पुत्र लिखमाराम
22. भोमाराम पुत्र लिखमाराम
23. राधा पत्नी लिखमाराम
    जातियान् मेघवाल, निवासी- रणकेश्वर नगर, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
24. कमला पुत्री लिखमाराम पत्नी अजाराम जाति मेघवाल, निवासी- बस्तवा तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
25. दुर्गादेवी पत्नी थानाराम
26. सिंधु पत्नी दुर्गाराम
27. पुरखाराम पुत्र दुर्गाराम
28. नारूराम पुत्र चुतराराम
29. जोगाराम पुत्र लिखमाराम
30. नत्थुराम पुत्र लिखमाराम
    जातियान् मेघवाल, निवासीगण- रणकेश्वर नगर, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 06 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2022 जेठाराम बनाम खेताराम इत्यादि

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 31
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 07 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2022 जेठाराम बनाम खेताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 38 ग्राम रणकेश्वर नगर तहसील सेखाला में आवागमन हेतु अपीलांट्स व अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 39 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 जुलाई 2023 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता सरकारी पड़त भूमि में से उपलब्ध है, जिसमें सें रेस्पोडेंट्स आवागमन करते है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धारा 251-ए के तहत नवीन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर उक्त वैकल्पिक रास्ते के बार बताया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट भी अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अन्य रास्ता खसरा नं. 36/4 एवं 36/1 में से भी उपलब्ध है जो भूमि उनके रिश्तेदारों की है। अपीलांट्स के खेत में सें केवल पगडण्डी के हिसाब से चलते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 जुलाई 2023 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या पांच के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघतुम एवं निकटतम रास्ता है तथा मौके पर चालू है। रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त रास्ता बार-बार बंद कर दिये जाने पर पूर्व में सुखाचार के तहत भी रास्ते को खुलवाया गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा बार-बार रास्ता बंद करने पर धारा 251-ए के तहत आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा। अपीलाधीन रास्ता ही स्कूली बच्चों के आवागमन का एकमात्र रास्ता है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में भी अपीलाधीन रास्ते का लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर लघतुम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 10.02.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अन्य कोई लघुतम एवं निकटतम रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजकीय स्कूल, शमशान एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़ता है।

अपीलांट्स का उज्र है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 36/4 एव 36/1 में से रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 36/4 एवं 36/1 भी अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 39 के समानांतर ही स्थित है, जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट्स द्वारा केवल रास्ता न दिये जाने की नियत से उक्त खसरान् में रास्ता होने का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य मौका रिपोर्ट्स दिनांक 23.12.2023, 04.08.2022 के मुताबिक भी अपीलाधीन रास्ता मौके पर उपलब्ध है, जिसे अपीलांट्स द्वारा बंद कर दिये जाने पर बार-बार खुलवाया गया है। वकील रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं जिला कलक्टर, जोधपुर(ग्रामीण) के कार्यालय आदेश दिनांक 24.01.2025 के मुताबिक अपीलाधीन रास्ते की भूमि पर ग्रेवल सड़क स्वीकृत हो चुकी है।

विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 जुलाई 2023 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर